



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-21102024-258101
CG-GJ-E-21102024-258101

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 823]
No. 823]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 17, 2024/आश्विन 25, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2024/ASVINA 25, 1946

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 14 अक्तूबर, 2024

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान और निपटान प्रणाली) विनियम, 2024

फा. सं. आईएफएससीए/जीएन/2024/009.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; तथा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख) से (च) के साथ पठित धारा 34 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ. -

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (भुगतान और निपटान प्रणाली) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य. -

ये विनियम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में भुगतान प्रणालियों के प्राधिकरण और संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

3. परिभाषाएं. -

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें परिभाषित शब्दों का अर्थ नीचे दिए अनुसार होगा और उनकी सजातीय अभिव्यक्तियों और रूपों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा-

- क. 'अधिनियम' का तात्पर्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) से है;
- ख. 'प्राधिकार प्रमाणपत्र' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्राधिकार प्रमाणपत्र से है;
- ग. 'प्राधिकरण' का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है;
- घ. 'बोर्ड' का तात्पर्य प्राधिकरण की ऐसी समिति से है, जिसे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत गठित भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड जाना जाता है;
- ङ. 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र' का तात्पर्य वही होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अंतर्गत निर्दिष्ट है;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, लेकिन अधिनियम या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) या इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या विनियमन में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या उनके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में दिए गए हैं।

अध्याय II

भुगतान प्रणालियों का प्राधिकार

4. भुगतान प्रणाली शुरू करने या चलाने के लिए प्राधिकार के लिए आवेदन -

- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भुगतान प्रणाली शुरू करने या चलाने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति (जिसे आगे 'आवेदक' कहा जाएगा) अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट प्ररूप और तरीके से किया जाएगा।

3. उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन के साथ 1000 अमेरिकी डॉलर का गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क संलग्न करना होगा।
5. **सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना। -**
1. विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, प्राधिकरण एक "सैद्धांतिक अनुमोदन" जारी करेगा, जिसमें आवेदक को अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) की शर्तों और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होगी।
 2. प्राधिकरण द्वारा "सैद्धांतिक अनुमोदन" जारी करने से आवेदक स्वतः ही प्राधिकार का पात्र नहीं हो जाएगा।
6. **प्राधिकार प्रमाण-पत्र प्रदान करना. -**
1. आवेदन की जांच करने पर, यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन शर्तें पूरी हो गई हैं, तो वह आवेदक को भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट ऐसे प्रारूप में प्राधिकार प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है और वह ऐसी तारीख निर्दिष्ट कर सकता है जिस दिन से वह प्राधिकार प्रभावी होगा।
 2. प्राधिकरण द्वारा भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों की प्रत्येक उप-श्रेणी के लिए समय-समय पर निर्दिष्ट गैर-वापसी योग्य शुल्क प्राप्त होने पर प्राधिकार प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
 3. प्राधिकरण, प्राधिकार प्रदान करते समय, अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है जैसा कि वह उचित समझे, और इस प्रकार प्रदान किया गया प्राधिकार ऐसी शर्तों की संतुष्टि के अंतर्गत लागू होगा।
 4. यदि प्राधिकरण भुगतान प्रणाली के समुचित संचालन के लिए आवश्यक समझता है तो वह आवेदक को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट राशि की प्रतिभूति जमा करने के लिए कह सकता है।
7. **प्राधिकार से छूट-**
1. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के परंतुक (घ) के अधीन छूट के लिए आवेदन में वह औचित्य शामिल होगा जिसके अंतर्गत ऐसी छूट दी जा रही है।
 2. प्राधिकरण आवेदन में दी गई जानकारी और उसके पास उपलब्ध किसी भी अन्य जानकारी पर उचित विचार करने के बाद, छूट के अनुरोध को शर्तों के साथ या बिना शर्तों के स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय लेगा और आवेदन की से तारीख नब्बे दिनों की अवधि के भीतर आवेदक को इसकी सूचना देगा।

अध्याय III

मानकों का अनुपालन

8. **वित्तीय बाजार अवसंरचना के सिद्धांतों (पीएफएमआई) का अनुपालन। -**

प्रत्येक प्रणाली प्रदाता, भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) और प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) द्वारा जारी वित्तीय बाजार अवसंरचना के सिद्धांतों और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट अन्य मानदंडों का निरंतर आधार पर और लागू सीमा तक अनुपालन करेगी।

अध्याय IV**भुगतान अनुदेश और मानकों का निर्धारण**

9. अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (क) से (च) में निर्दिष्ट भुगतान अनुदेशों के प्रारूप और अन्य मामलों के संबंध में प्रत्येक प्रणाली भागीदार, प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले विनियमों, दिशानिदेशों, अनुदेशों या निदेशों द्वारा शासित होगा।

अध्याय V**रिटर्न, दस्तावेज और अन्य जानकारी****10. विवरणी, दस्तावेज या अन्य जानकारी आदि प्रस्तुत करना -**

प्रत्येक प्रणाली प्रदाता प्राधिकरण को ऐसी विवरणी, दस्तावेज और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में अपेक्षित हो।

11. खाते और तुलनपत्र प्रस्तुत करना। -

(1) प्रत्येक प्रणाली प्रदाता, अपने वार्षिक खातों के बंद होने की तारीख से तीन माह के भीतर, प्राधिकरण को प्रासंगिक वर्ष की अंतिम तारीख को अपने लेखापरीक्षित तुलनपत्र की प्रति, लाभ और हानि खाते की प्रति और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण, प्रणाली प्रदाता द्वारा किए गए आवेदन पर, विवरणी प्रस्तुत करने के लिए तीन माह की उक्त अवधि को तीन माह से अधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

(2) प्रणाली प्रदाता उप-विनियम (1) के अधीन प्राधिकरण को प्रस्तुत अपने तुलनपत्र, लाभ और हानि खाते और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा।

अध्याय VI**विविध****12. विनियमों के कठोर प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति**

1. प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय बाजार के विकास के हित में, इन विनियमों की किसी भी आवश्यकता के कठोर प्रवर्तन में ढील दे सकता है।

2. उप-विनियम (1) के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए, विवरण और जिन आधारों पर ऐसी छूट मांगी गई है, उन्हें देते हुए एक आवेदन प्राधिकरण के पास प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ फ़ाइल किया जाएगा।

3. प्राधिकरण ऐसे आवेदन को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर संसाधित करेगा, जो मांगे गए स्पष्टीकरणों के जवाबों सहित सभी मामलों में पूर्ण होगा और आवेदक द्वारा मांगी गई छूट को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करेगा।

13. मानदंड, प्रक्रियाएं निर्दिष्ट करने, स्पष्टीकरण जारी करने और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

1. इन विनियमों और इसके आनुषंगिक मामलों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण परिपत्रों, दिशानिदेशों या निदेशों के माध्यम से मानदंड, विधियों, प्रक्रियाओं, अतिरिक्त आवश्यकताओं आदि निर्दिष्ट कर सकता है।

2. इन विनियमों के प्रावधानों की व्याख्या या अनुप्रयोग में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण मार्गदर्शन नोट या परिपत्रों के माध्यम से निर्देश जारी कर सकता है।

3. इन विनियमों और इसके आनुषंगिक मामलों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण परिपत्रों, दिशानिदेशों या निदेशों के माध्यम से मानदंड, प्रक्रियाएं, प्रक्रिया आदि निर्दिष्ट कर सकता है।

14. निरसन और व्यावृत्तियाँ

1. इन विनियमों के प्रारंभ से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भुगतान और निपटान प्रणाली विनियम, 2008 किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में लागू नहीं होंगे।

2. उप-विनियम (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, इन विनियमों के प्रारंभ से पहले, इसके अधीन जारी किए गए किसी भी दिशानिदेश, परिपत्र या निदेशों सहित, उक्त विनियमों के अधीन की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई को इन विनियमों के संगत उपबंधों के अधीन किया गया या लिया गया माना जाएगा।

3. उप-विनियम (1) में उल्लिखित विनियमों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिदेश, परिपत्र, निदेश या कोई अन्य अनुदेश, तथा उनकी प्रयोज्यता की सीमा तक, उन्हें इन विनियमों के अंतर्गत जारी किया गया माना जाएगा, जब तक कि उन्हें प्राधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जाएगा।

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./592/2024-25]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION

Gandhinagar, the 14th October, 2024

International Financial Services Centres Authority (Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024

F. No. IFSCA/GN/2024/009.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019); and section 34 B read with sub-section (1) and clauses (b) to (f) of sub-section (2) of section 38 of the Payments and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. -

(1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Payment and Settlement Systems) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objective. -

These regulations lay down the process of authorisation and operations of Payment Systems in International Financial Services Centres.

3. Definitions. -

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned to them below and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly-

- (a) 'Act' means the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007);
- (b) 'Authorisation Certificate' means the certificate containing the authorisation issued by the Authority under sub-section (1) of Section 7 of the Act;
- (c) 'Authority' means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (d) 'Board' means the committee of the Authority known as the Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems constituted under sub-section 2 of section 3 of the Act;
- (e) 'International Financial Service Centre' shall have the meaning assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Banking Regulations Act, 1949 (10 of 1949) or the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

AUTHORISATION OF PAYMENT SYSTEMS

4. Application for authorisation for commencing or carrying on a Payment System. -

- (1) Every person desirous of commencing or carrying on a Payment System in an International Financial Services Centre (hereinafter referred to as 'applicant') shall submit an application under sub-section (1) of Section 5 of the Act to the Authority for grant of authorisation under sub-section (1) of section 7 of the Act.
- (2) The application under sub-regulation (1) shall be made in such form and manner as may be specified by the Authority.
- (3) The application under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee of USD 1000.

5. Grant of in-principle approval. -

- (1) After considering the application for the grant of authorisation under sub-regulation (1) of regulation 4, the Authority may issue an "in-principle approval" requiring the applicant to satisfy the conditions of sub-section (1) of section 7 of the Act and such other conditions, as may be stipulated by the Authority.
- (2) The issuance of "in-principle approval" by the Authority shall not automatically entitle the applicant for authorisation.

6. Grant of Authorisation Certificate. -

- (1) On examination of the application, if the Authority is satisfied that the conditions under sub-section (1) of Section 7 of the Act are fulfilled, it may issue an authorisation certificate in such form as may be specified by the Authority, to the applicant to commence a Payment System and specify the date on which the authorisation shall take effect.
- (2) The authorisation certificate shall be issued upon receipt of a non-refundable fees as may be specified by the Authority from time to time for each sub-category of payment system operators.
- (3) The Authority, while granting authorisation, may impose additional conditions as it may deem fit, and the authorisation so granted shall be in force subject to satisfaction of such conditions.
- (4) The Authority may, if it considers necessary for the proper conduct of the Payment System, require the applicant to furnish a security deposit under clause (d) of sub-section (2) of Section 7 of the Act of such amount as may be specified by the Authority.

7. Exemption from Authorisation. -

- (1) An application for exemption under proviso (d) to sub-section (1) of section 4 of the Act shall include the rationale under which such exemption is being sought.
- (2) The Authority shall, after due consideration of the information provided in the application and any other information that may be available with it, decide to accept, with or without conditions or reject the request for exemption and communicate the same to the applicant within a period of ninety days from the date of application.

CHAPTER III**COMPLIANCE WITH THE STANDARDS****8. Compliance with the Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI). -**

Every System Provider shall comply, on an ongoing basis and to the extent applicable, with the Principles for Financial Market Infrastructure issued by Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) and International Organization of Securities Commissions (IOSCO) and such other norms as may be specified by the Authority from time to time.

CHAPTER IV**PAYMENTS INSTRUCTIONS AND DETERMINATION OF STANDARDS**

9. Every System Participant, with respect to the format of payment instructions and other matters specified in clauses (a) to (f) of sub-section (1) of Section 10 of the Act, shall be governed by the regulations, guidelines, instructions or directions, as may be issued by the Authority.

CHAPTER V**RETURNS, DOCUMENTS AND OTHER INFORMATION****10. Submission of returns, documents or other information etc. -**

Every System Provider shall submit to the Authority such returns, documents and other information as may be required by the Authority from time to time and in such form as specified by the Authority.

11. Furnishing of accounts and Balance Sheet. -

(1) Every System Provider shall furnish to the Authority, within three months from the date on which its annual accounts are closed, a copy of its audited balance sheet as on the last date of the relevant year along with a copy of the profit and loss account and also a copy of the Auditor's report.

Provided that the Authority may, on an application made by the System Provider, extend the said period of three months for furnishing of returns by a further period not exceeding three months.

(2) The System Provider shall also publish a copy of its balance sheet, profit and loss account and Auditor's report submitted to the Authority under sub-regulation (1), on its website.

CHAPTER VI**MISCELLANEOUS****12. Power to relax strict enforcement of the regulations**

- (1) The Authority, for reasons to be recorded in writing, may in the interest of development of financial market in International Financial Services Centre, relax the strict enforcement of any requirements of these regulations.
- (2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Authority along with a non-refundable fee as may be specified by the Authority.
- (3) The Authority shall process such application within sixty (60) days of the date of receipt of the application, complete in all respects, including responses to clarifications sought and shall record reasons for acceptance or refusal of the relaxations sought by the applicant.

13. Power to specify norms, procedures, issue clarifications and remove difficulties

- (1) For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes, additional requirements, etc. by way of circulars, guidelines or directions.
- (2) In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority may issue directions through guidance notes or circulars.
- (3) For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes etc. by way of circulars, guidelines or directions.

14. Repeal and Savings

- (1) On and from the commencement of these regulations, the Payment and Settlement Systems Regulations, 2008, issued by the Reserve Bank of India, shall not apply in an International Financial Service Centre’.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1), any action taken or purported to have been taken under the said regulations, including any guidelines, circulars or directions issued thereunder, before the commencement of these regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.
- (3) The guidelines, circulars, directions or any other instruction, issued by the Reserve Bank of India, under the regulations mentioned in sub-regulation (1) and to the extent of its applicability, they shall be deemed to have been issued under these regulations unless and until they are superseded or modified by the Authority.

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./592/2024-25]